International Journal of Applied Research 2017; 3(8): 988-992

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(8): 988-992
www.allresearchjournal.com
Received: 15-06-2017
Accepted: 28-07-2017

Dr. Mandira Gupta
Associate Professor,
Department of Sociology,
MMH College, Ghaziabad,
Uttar Pradesh, India

Correspondence
Dr. Mandira Gupta
Associate Professor,
Department of Sociology,
MMH College, Ghaziabad,
Uttar Pradesh, India

भारतीय समाज में नारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

Dr. Mandira Gupta

सारांश
यह अध्ययन वर्तमान भारतीय समाज में नारी के वास्तविक स्थान पर प्रभाव डालता है। भारत के इतिहास में स्त्रियों की दशा उत्थान एवं पतन तीन प्रमुख अस्त्रों से गुजरी है. आज लगभग सभी क्षेत्रों में स्त्रियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है और इस धारणा का खंडन करने में सफल हुई है कि स्त्रियां बुद्धि या प्रतिभा में कुछ किसी से कम नहीं है वे अध्यापिका और चिकित्सक के परंपरागत व्यवसाय से उबर कर अब वैज्ञानिक, वकील, जज, इंजीनियर, पायलट, आईएस बन रही हैं बल्कि उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पुरुषों से आगे भी निकल रही है. व्यापार में, व्यवसाय में, राजनीति में, प्रशासन में, स्वैच्छिक समाज सेवा में सभी जगह प्रतिष्ठित स्थान ग्रहण कर रही है

कूटशब्द : भारतीय समाज में नारी की पृष्ठभूमि, व्यवसाय, राजनीति

प्रस्तावना
पुरुष और स्त्री समाज निर्माण के दो परस्पर पूरक तत्व हैं. पर समाज संचालन में एक की सक्रियता दूसरे की बाध्यता उसकी जीवन के सतत प्रवाह में गतिरोध पैदा ना करें तो उसे कुंठित अवश्य करती है .इसलिए विभिन्न युगों में नारी की स्थिति क्या रहेगी, मानवीय विकास में इसका योगदान कितना और कैसा रहा ,कहां आकर यह संतुलन बिगड़ा ,इस संतुलन ने समाज को पुरुष को वह स्वयं नारी को कितनी क्षति पहुंचाई स्वयं नारी इस स्थिति से बेखबर रही. नारी ने अपनी सामाजिक राजनीतिक पराधीनता की बेड़ियां कांट फेंकने के लिए एक साथ संघर्ष किया और अपने लिए एक लक्ष्य, एक मार्ग निर्धारित किया. अब फिर से समझने लगी है, अपनी क्षमताओं के साथ अपनी सीमाओं को भी पहचानने लगी है, लगता है वह दिन दूर नहीं है जब दोनों के सामंजस्य से अपनी राह को आसान बनाने के उपाय भारतीय नारी स्वयं खोज लेगी.स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य यह है कि एक समाज विशेष में स्त्रियों का क्या स्थान है, उन्हें पुरुषों से ऊंचा, बराबर या नीचा क्यों माना जाता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का क्या दृष्टिकोण पाया जाता है. इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में इस बात का भी विशेष महत्व है कि उन्हें कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्या-क्या कार्य हैं तथा उनसे किन भूमिकाओं को अदा करने की आशा की जाती है. स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य यह है कि एक समाज विशेष में स्त्रियों का क्या स्थान है उन्हें पुरुषों से ऊंचा बराबर या नीचा क्यों माना जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का क्या दृष्टिकोण पाया जाता है.

इन सभी बातों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि भारतीय हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति विशेष तौर पर काफी उच्च रही है. उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना गया है इसी कारण दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा होती रही है. यहां पुरुष के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है. इसी कारण हिंदू समाज में स्त्री को पुरुष की "अर्धांगिनी" कहा गया है. वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर रही है तथा उन्हें पुरुषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त रहे हैं. धीरे-धीरे पुरुष में अधिकार प्राप्ति की लालसा बढ़ती गई परिणाम स्वरूप स्मृति काल, धर्म शास्त्र काल तथा मध्य काल में इनके अधिकार खत्म होते गए और इन्हें परतंत्र, निस्सहाय और निर्बल मान लिया गया. परंतु समय ने पलटा खाया. अंग्रेजी शासनकाल में देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जागृति आने लगी. समाज सुधारकों एवं नेताओं का ध्यान स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की ओर गया. पिछले कुछ वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति को समझने के लिए यहां हमें विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति का विश्लेषण करना होगा.

वैदिक युग

वैदिक युग में भारतीय समाज पित्र प्रधान और एक पत्नी व्रता था. इस काल में स्त्री शिक्षा अपने उच्चतम सीमा पर थी. इस काल में स्त्री पुरुषों की परिस्थिति में समानता थी इस समय लड़कियों का उपनयन संस्कार भी होता था और यह भी ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी. उस समय लड़के लड़कियां की शिक्षा एक साथ होती थी. शिक्षा की दृष्टि से लड़कियों और लड़कों में कोई भेद नहीं किया जाता था .वे स्वतंत्र विचरण करते थे, धार्मिक समारोह में भाग लेती थी, उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे, पति के चुनाव की उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी, वयस्क होने पर वे विवाह करते थे और विधवा होने की स्थिति में पुनर्विवाह कर सकती थी.

उपनिषद काल

उपनिषद काल में वैदिक कर्मकांड को पूर्ण रूप से मान्य था जैसा कि राजा जनक और दार्शनिक गार्गी की कहानी से सिद्ध है कई बार लड़कियों और लड़कों की शिक्षा में अंतर किया जाता था, लड़कियां संगीत और नृत्य विद्या का शिक्षा प्राप्त करती थी जो लड़कों के लिए उपयुक्त विषय नहीं समझे जाते थे.

उत्तर वैदिक युग

इस युग में मनुस्मृति में लड़कियों की विवाह की आयु कम कर दी और महिलाओं ने अपने अधिकांश अधिकार खो दिए. हिंदू धार्मिक ग्रंथों के टीका कारों ने जब या स्थिति देखी तो उन्होंने महिलाओं की पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ दिया बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महावीर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में सती प्रथा का पालन नियमित रूप से किया जाता था.

मध्य युग

यह भारत के लिए अंधकार युग के समान है तुर्क और फारस के आक्रमण के फल स्वरूप स्त्रियों की स्थिति में पुनः गहरा धक्का लगा. मुस्लिम शासन के समय स्त्रियों ने पूर्ण रूप से समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान खो दी. स्त्री धार्मिक कृत्यों में अब बराबरी के स्तर पर भी नहीं रहे और उसे पर्दे के पीछे कर दिया गया क्योंकि हिंदू नहीं चाहते थे कि उनकी बहू बेटियों के साथ मुसलमान किसी भी प्रकार का अत्याचार करें. बहु विवाह, बाल विवाह स्त्रियों में अशिक्षा के फलस्वरूप भी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई. एक मुख्य कारण सामाजिक विचारधारा में केंद्रीय निर्देशन का अभाव था और अत्यावश्यक सुधार करने के लिए संगठित जनमत जैसा कोई साधन नहीं था इस पृष्ठभूमि की पूर्ति अंग्रेजों के आगमन से हुई.

ब्रिटिश काल

18 वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक का समय ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता है. अंग्रेजों ने यहां के लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई. इस नीति के कारण उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं की. इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की समस्याएं निम्नलिखित रहे जैसे

- **सामाजिक क्षेत्र** में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे. उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे यहां स्त्रियों में साक्षरता 6% से भी कम थी. बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा के प्रचलन में स्त्री शिक्षा में विशेष बाधा पहुंचाई.
- **पारिवारिक क्षेत्र** में स्त्रियों को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थी. सब प्रकार के अधिकार पुरुष में ही केंद्रित थे. स्त्रियों का मुख्य कार्य संतानोत्पत्ति एवं परिवारजनों की सेवा करना था. विवाह विच्छेद के

अधिकार के नहीं होने से पति के अत्याचारी होने पर भी पत्नी की असहाय स्थिति उत्पन्न हो गई थी.

- **आर्थिक क्षेत्र** में स्त्रियों को सन 1937 के पूर्व विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे. इन्हें अधिक से अधिक भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था. स्त्रीधन के अतिरिक्त इन्हें और कोई संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं था. स्त्री स्वयं वस्तु या संपत्ति के रूप में समझी जाती थी. स्त्री के द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक कार्य करना अनुचित और अनैतिक समझा जाता था.
- **राजनैतिक क्षेत्र** किसी गतिविधि में स्त्रियों के भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता. जब देश पर तंत्र था और पुरुष अंग्रेजों के गुलाम थे तो स्त्रियां राजनीति में भाग कैसे ले सकती थी. उनका संपूर्ण जीवन तो घर की चारदीवारी में ही व्यतीत होता था.

महात्मा गांधी द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले आंदोलन में कुछ स्त्रियों ने भाग्य अवश्य लिया था परंतु समझे जाने वाले परिवारों ने इसका विरोध किया.
स्त्रियों की निम्न स्थिति के लिए निम्नलिखित उत्तरदाई कारक है जैसे स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, कन्यादान का आदर्श, बाल विवाह,वैवाहिक कुरीतियां, संयुक्त परिवार व्यवस्था, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, मुसलमानों के आक्रमण तथा अशिक्षा इत्यादि.

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में स्त्री शिक्षा
भारत में शिक्षा पद्धति का प्रथम चरण 19 वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है. जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्च सत्ता संभाली उस समय अरबी और संस्कृत स्कूलों की एक व्यापक शिक्षा पद्धति विद्यमान थी. जो ज्ञान को मुख्यतः आध्यात्मिक प्रगति का साधन समझती थी. जब मैंकाले के अधीन सन 1838 में अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा के रूप में मान्यता मिली और हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी, उस समय देसी स्कूलों की लोकप्रियता कम हो गई और अंग्रेजी शिक्षण को प्रधानता दी जाने लगी. इसमें बौद्धिक वर्ग और शेष जनता में दीवार खड़ी कर दी और शिक्षा का उद्देश्य अधिक उपयोगितावादी हो गया. जब नए प्रकार के शिक्षा का जिसका उद्देश्य नौकरशाही के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराना प्रचलन हुआ, तब यह महिलाओं के लिए अनुपयुक्त समझी जाने लगी. जीवन की समस्याओं की तक जाने और उनका समाधान करने के साधन के रूप में शिक्षा प्रदान करने का विचार हाल ही के उपज है. 19 वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की तरह ब्रिटेन में भी यह माना जाता था कि लड़कियां घर पर रहकर ही सब कुछ सीख सकती हैं जो शिक्षा द्वारा सीखा जाता है. ब्महिला उत्थान के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाए इनमें सबसे विख्यात राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने बहुपति प्रथा की भर्त्सना की. 1829 के सती निरोधक अधिनियम का समर्थन किया. 1832 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और महिला शिक्षा का प्रबल समर्थन किया. 19 वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयोग किए गए. ब्रिटिश अधिकारियों ने भी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हुए महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया. बीसवीं शताब्दी में आयरलैंड में उत्पन्न तीन ब्रिटिश निवेदिता के नाम से विख्यात ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया इन ब्रिटिश अधिकारियों में से एक थे जेडीयू , जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य थे. उनका यह विचार था कि प्रतिष्ठित हिंदू ईसाई मिशन द्वारा संचालित स्कूलों में ईसाइयों की धार्मिक शिक्षा पर बल दिए जाने के कारण इन स्कूलों में अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे इसलिए उन्होंने एक दूसरे समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद विद्यासागर के साथ मिलकर संघ ज़ी टीवी विथ यू जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य थे उनका यह विचार था कि प्रतिष्ठित हिंदू ईसाई मिशन द्वारा संचालित स्कूलों में ईसाइयों की धार्मिक शिक्षा पर बल दिए जाने के कारण इन स्कूलों में अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे. इसलिए उन्होंने एक दूसरे समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद विद्यासागर के साथ मिलकर 1849 में कोलकाता में सभी धर्मों की लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की जिसने बाद में विथ यू कॉलेज का रूप धारण किया लड़कियां अधिक संख्या में स्कूल में उपस्थित हूं इस दृष्टि से उन्होंने परिवहन की व्यवस्था भी की. इस स्कूल का नारा था लड़कियों के संरक्षण और शिक्षा के लिए प्रयत्न किए जाएं. निसंदेह इस नारे से लोगों में उस युग में अवश्य उथल-पुथल मची होगी जब उन्हें चल संपत्ति समझा जाता था. श्री विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ज़ी टीवी विथ यू जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य थे उनका यह विचार था कि प्रतिष्ठित हिंदू ईसाई मिशन द्वारा संचालित स्कूलों में ईसाइयों की धार्मिक शिक्षा पर बल दिए जाने के कारण इन स्कूलों में अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे इसलिए उन्होंने एक दूसरे समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद विद्यासागर के साथ मिलकर संघ 1349 में कोलकाता में सभी धर्मों की लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की जिसने बाद में विथ यू कॉलेज का रूप धारण किया लड़कियां अधिक संख्या में स्कूल में उपस्थित हूं इस दृष्टि से उन्होंने परिवहन की व्यवस्था की भी की इस स्कूल का नारा था लड़कियों के संरक्षण और शिक्षा के लिए प्राप्त किए जाएं निसंदेह

इस नारे से लोगों में उस युग में अवश्य उथल-पुथल मची होगी जब उन्हें चल संपत्ति समझा जाता था. श्री विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के पास कराने में भी सहायता की और जब वह स्कूलों के इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने सन 1855 से 58 की अवधि में लड़कियों को 40 स्कूलों की स्थापना की. बेतूल स्कूल की सफलता से प्रोत्साहित होकर कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने भी इसी प्रकार के स्कूल खोलें. परंतु बड़े पैमाने पर स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए यह जरूरी था कि सरकार निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करें. 19 वीं शताब्दी के मध्य तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. लॉर्ड डलहौजी की यह घोषणा की सब परिषद गवर्नर जनरल की सहमति में लोगों की आदतों में परिवर्तन के वह महत्वपूर्ण और लाभप्रद परिणाम नहीं निकल सकते जो लड़कियों की शिक्षा के प्रचलन से निकलेंगे. बाल विवाह को समाप्त तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित कराने की दृष्टि में काफी प्रयत्न किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज को वैदिक आदर्शों की ओर ले जाने की कोशिश की. स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह को रोकने एवं पर्दा प्रथा को समाप्त करने की दृष्टि से काफी प्रयास किए गए. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहु पत्नी विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया. इनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरुप ही सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया. स्त्री शिक्षा का प्रसार कर स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का प्रयत्न किया गया. केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों के फल स्वरुप सन 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई. इस अधिनियम के द्वारा एक विवाह प्रथा को अनिवार्य कर दिया गया.

बीसवीं शताब्दी

बीसवीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में महात्मा गांधी ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का भरसक प्रयत्न किया और स्त्रियों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया इसके अलावा बाल विवाह और कुलीन विवाह का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया. गांधीजी स्त्रियों को समाज में उचित स्थान दिलाने में सदैव प्रयत्नशील रहे. कई स्त्री संगठनों ने भी स्त्रियों में चेतना जागृत करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किए. मार्गरेट नोबल, एनी बेसेंट एवं मार्गरिट कुशन ऐसी पाश्चात्य महिलाएं हुई जिन्होंने भारत में स्त्री आंदोलन को सशक्त बनाने में काफी योगदान दिया. सन 1917 में मद्रास में "भारतीय महिला समिति" गठित की गई. विभिन्न महिला संगठनों के प्रयत्न से देश में "अखिल भारतीय महिला सम्मेलन" की स्थापना की गई और सन 1927 में पुणे में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ. इस संगठन ने स्त्री शिक्षा के प्रसार में विशेष प्रयत्न किया. इसी संगठन में सन 1932 में दिल्ली में "लेडी इरविन कॉलेज" की स्थापना की. इस संगठन ने आगे चलकर बाल विवाह, बहु पत्नी विवाह एवं दहेज आदि का विरोध किया. स्त्रियों के लिए पुरुषों का समान संपत्ति अधिकारों और वयस्क मताधिकार की मांग रखी. इस संगठन के अलावा "विश्वविद्यालय महिला संघ", "भारतीय ईसाई महिला मंडल", "अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था" एवं "कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट" आदि स्त्री संगठनों ने स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करने, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और स्त्री शिक्षा का प्रसार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किए.

समाज सुधारक एवं स्त्री संगठनों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कई ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई तथा समय-समय पर अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने स्त्रियों की निरयोग्यताओं को दूर करने और उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया स्वतंत्र भारत के संविधान में स्त्री पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए . सन 1955 में "हिंदू विवाह अधिनियम" पारित किया गया जिसके द्वारा विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए, विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई और बहू पत्नी विवाह पर रोक लगा दी गई. सन 1956 में "हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम", "हिंदू नाबालिक संरक्षण अधिनियम", "हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम", "स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम" तथा सन् 1961 में "दहेज निरोधक अधिनियम" पारित किए. इन अधिनियमओं के पास हो जाने से अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह एवं प्रेम विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई. लड़के लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु भी क्रमशः 21 वर्ष और एक 18 वर्ष की जा चुकी है. अब एक पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया जा सकता. असाधारण परिस्थितियों में पति पत्नी को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार भी दिया गया है. इन सब वैधानिक व्यवस्थाओं ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने में निश्चित रूप से योगदान दिया है.

स्वतंत्रता प्राप्ति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया .स्वतंत्र भारत

के संविधान में स्त्री पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है. डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण लौकी की करण तथा जातीय गतिशीलता ने स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में काफी योग दिया है. वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है. कई स्त्रियां औद्योगिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी. अब आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं. उनके पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है. अनेक सामाजिक अधिनियम में स्त्रियों की निर्योग्यता को समाप्त करने और उन्हें सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने में योगदान दिया है. अब स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु काफी सुविधाएं प्राप्त हैं. वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं जैसे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति, राजनीतिक चेतना में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, परिवारिक क्षेत्र में अधिकारों की प्राप्ति के कारण स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार आया.

निष्कर्ष

भारत के इतिहास में स्त्रियों की दशा उत्थान एवं पतन तीन प्रमुख अस्त्रों से गुजरी है. वैदिक कालीन भारत (आर्यवर्त) में स्त्रियां अपने स्थिति का चरम सीमा तक उपभोग करती थी. स्त्री पुरुष की मित्र थी तथा संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त था. वह किसी भी दशा में पुरुष से निम्न स्तर पर नहीं थी. वैदिक सभ्यता के पश्चात स्त्रियों की दशा में क्रमश कमी होती चली गई. विधि निर्माता मनु ने स्त्रियों को संपूर्ण रूप से पुरुष के अधीन कर दिया. मनु के अनुसार स्त्री जन्म से मृत्यु तक क्रमशः पिता, पति और पुत्र के अधीन रहती है. इनके ही अनुसार औरत किसी भी दशा में स्वतंत्र नहीं रह सकती. आर्थिक दृष्टि से स्त्रियां मध्यकाल तक पूरी तरह से पुरुषों पर आश्रित हो गए. मध्य काल में स्त्रियों को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था. पर्दा का प्रचलन चरम बिंदु पर था.ब्रिटिश शासकों ने भारत में अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीयों के सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया. इसी कारणवश स्त्रियों का दामन लगातार जारी रहा. स्त्रियों को बाहरी समाज से एक प्रकार से पूरी तरह अलग कर दिया गया था. उनको संपत्ति के अधिकार से भी अलग कर दिया गया था. तत्पश्चात अंग्रेजी शासन काल में पाश्चात्य शिक्षा तथा समाज सुधार आंदोलनों के फल स्वरुप भारत में स्त्रियों की दशा में सुधार का प्रारंभ हुआ. भारत में स्वाधीनता आंदोलन के समय शिक्षा, औद्योगिकरण, शहरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति तथा अन्य कारणों से स्त्रियों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुए. आजादी के पश्चात भारतीय संविधान के अनुसार भारत में स्त्री की स्थिति पुरुष के समान मानी गई. उसके पश्चात संवैधानिक उपचार, शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान, आर्थिक योजनाओं तथा कानून के सहायता से आज भारत में स्त्रियों को वे सभी अधिकार प्राप्त है जो पुरुषों को प्राप्त है. आज लगभग सभी क्षेत्रों में स्त्रियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है और इस धारणा का खंडन करने में सफल हुई है कि स्त्रियां बुद्धि या प्रतिभा में कुछ किसी से कम नहीं है वे अध्यापिका और चिकित्सक के परंपरागत व्यवसाय से उबर कर अब वैज्ञानिक, वकील, जज, इंजीनियर, पायलट, आईएस बन रही हैं बल्कि उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पुरुषों से आगे भी निकल रही है. व्यापार में, व्यवसाय में, राजनीति में, प्रशासन में, स्वैच्छिक समाज सेवा में सभी जगह प्रतिष्ठित स्थान ग्रहण कर रही है.

संदर्भ

1. Prabhu PN. Hindu Social Organization, 3rd Ed. Bombay, Page-258, Popular Book Depot; c1958.
1. Indra MA. Status of women in ancient India, 2nd revised edition, Motilal Banarasi Das Publishers; c1955, p.133.
2. Desai Neera, Women in modern India, Bombay, Vora and co. Publishers Pvt. Ltd; c1957. p.11.
3. Shrinivas MN. Marriage and family in Mysore, New book company, Bombay; c1942. p.195.
4. तोमर राम बिहारी सिंह एवं द्वारिका दास गोयल, "परिवार और समाज" प्रथम संस्करण, 1973, रघुनाथ प्रिंटिंग प्रेस, आगरा
5. Dr. Altekar AS. The position of women in Hindu civilization Motilal Banarasi Das, Banaras. c1956. p. 236.
6. Agrawal GK. SBPD Publishing House, Agra, 2012-13, p.59-60.
7. मुखर्जी रविंद्र नाथ, भारतीय समाज व संस्कृति, संस्करण 1981 विवेक प्रकाशन दिल्ली